न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद सं०५६०/१६

१९/०८/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि दिनांक २९/०३/१६ को समय रात ५बजे अपने घर से चौपाल के पास जानवरों को देखने जा रही थी शराब के नशे मे रामकुमार तन्मचा लिये आ रहा था और परिवादिनी को पकड कर खीचने लगा और छेडखानी की पविादिनी चिल्लाई तो मां बहन की गालिया देकर मारपीट की । शेार गुल पर गांव के रामकिशोर आदि लोग अ गये जिन्होने ललकारा तथा विपक्षी जान माल ली धमकी देकर भाग गया।अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ लालाराम पी०डब्लू०२ राम किशोर के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादी ने अपने कथन मे ं पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद तथा चोट आख्या दाखिल की हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन किया हैं दिनांक दिनांक २९/०३/१६ को समय रात ५बजे अपने घर से चौपाल के पास जानवरों को देखने जा रही थी शराब के नशे मे रामकुमार तन्मचा लिये आ रहा था और परिवादिनी को पकड कर खीचने लगा और छेडखानी की पविादिनी चिल्लाई तो मां बहन की गालिया देकर मारपीट की । शेार गुल पर गांव के रामकिशोर आदि लोग अ गये जिन्होने ललकारा तथा विपक्षी जान माल ली धमकी देकर भाग गया।

साक्षी पी०डब्लू०१व पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षी राम कुमार द्वारा धारा ३५४,४५२ भा० द० स० के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त राम कुमार को धारा ३५४,४५२ भा० द० स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक१०/०९/२०१६के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज